न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 97/2021

GCMS NO. : 2021/253

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. गोरधनराम पुत्र मांगीलाल जाति– बावरी, निवासी– खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956ण

तारीख रजूः 11/08/2021

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता वादी।
2. सरकार राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/02/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली में कृषि भूमि स्थित है, जो निम्नानुसार है :– खसरा नम्बर 103 रकबा 12–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 103/229 रकबा 20–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 104 रकबा 16–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 105 रकबा 12–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 135 रकबा 34–11 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 137 रकबा 08–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 139 रकबा 03–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, इसी प्रकार राजस्व मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में भूमि स्थित है जो निम्नानुसार है खसरा नम्बर 204/20 रकबा 04–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसकी चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी की पुश्तैनी कब्जा सुदा हक सुदा है पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता मांगीलाल पुत्र हजारी जाति बावरी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। मांगीलाल जी के [illegible] होने पर जरिये नामान्तरण के उक्त वादी एवं उसके भाईयों [illegible] दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का नाम गोरधन राम की बजाय राजस्व रेकर्ड में गोरधनलाल दर्ज कर दिया। पश्चात् इसी माफिक चौसाला जमाबन्दी में अंकन कर दिया तथा चौसाला जमाबन्दी की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। कृषि भूमि वादी गोरधनराम के खातेदारी व कब्जे काश्त की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

जिस पर वादी अपने हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि वादी के गलत नाम गोरधनलाल के नाम से दर्ज है तथा वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तोवजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, जॉब कार्ड आदि सभी दस्तावेजात् में वादी का सही नाम गोरधनराम दर्ज है। जबकि इस वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत नाम गोरधनलाल के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाये ले पा रहा है तथा ऑनलाईन सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा है। जिससे वादी को भारी नुकशान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतू प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण एवं उनके अधीनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 25.07.2021 को इस प्रकार की दुरूस्ती करनें से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करनें की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादी की उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में वादी के सही नाम गोरधनराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम गोरधनराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। वादी ने अपने नाम की दुरूस्ती करवाने हेतू प्रतिवादी व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था तब उन्होने दिनांक 25.07.2021 को ऐसी दुरूस्ती करनें से इन्कार कर दिया है। जिस पर यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिसके विरुद्ध वादपत्र पेश करनें से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अदालत श्रीमान् की अनुमति से पेश है। इस बाबत् धारा 82(2) का प्रार्थनापत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25.07.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम से दुरूस्ती करनें से इन्कार करने पर बमुकाम खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण का बिन्दुवार जवाब दावा निम्नानुसार हैः- बिन्दु संख्या 1 ग्राम खिनावड़ी के खसरा नम्बर 103, 103,229, 104, 105, 135, 1.., 139 एवं ग्राम खेड़ा महाराजपुरा के खसरा नम्बर 204,120 वादी की खातेदारी की कृषि भूमि है। बिन्दु 2. वादी का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामान्तरण से हुआ है। बिन्दु संख्या 3 वादी के सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र जनआधार इत्यादि में गोरधनराम दर्ज है किन्तु जरिये विरासत नामान्तरण में गोरधनलाल दर्ज हुआ था। जो कि गलत इन्द्राज है। शेष बिन्दु न्यायालय से सम्बन्धित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा खिनावड़ी, पटवार हल्का फुलमाल, तहसील जैतारण, जिला पाली में भूमि स्थित है, जो निम्नानुसार हैः- खसरा नम्बर 103 रकबा 12-05 बीघा, खसरा नम्बर 103/229 रकबा 20-16 बीघा, खसरा नम्बर 104 रकबा 16-01 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 12-04 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 34-11 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 08-18 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03-14 बीघा, इसी प्रकार राजस्व मौजा खेड़ा महाराजपुरा, पटवार हल्का- फुलमाल के खसरा नम्बर 204/20 रकबा 04-00 बीघा, वादी के पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण के समय वादी का नाम सहवन से गोरधनलाल दर्ज कर दिया गया जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, क्योंकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम गोरधनराम पुत्र मांगीलाल है। अतः त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि गोरधनलाल के स्थान पर सही प्रविष्टि गोरधनराम इन्द्राज की जावें। वादी द्वारा साक्ष्य शपथपत्र PW-1 में वादपत्र के कथनों की पुष्टि की है। गवाह कानाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति- बावरी, निवासी- खिनावड़ी, तहसील- जैतारण ने साक्ष्य शपथपत्र PW-2 व गवाह भोलाराम पुत्र बींजाराम, निवासी- खिनावड़ी, तहसील- जैतारण ने साक्ष्य शपथपत्र PW-3 में वादपत्र के कथनों की पुष्टि तथा समर्थन किया है। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत वादी का निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार जॉब कार्ड में वादी का सही एवं वास्तविक नाम गोरधन राम पुत्र मांगीलाल अंकित है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वादी तथा गवाहान् के शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज गोरधनलाल पुत्र मांगीलाल तथा वादी गोरधन राम पुत्र मांगीलाल वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा वादी का सही एवं वास्तविक नाम दस्तावेजों के अनुरूप गोरधन राम पुत्र मांगीलाल है। अतः वादी वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख दस्तावेजों में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज प्रविष्टि गोरधन लाल को विलोपित करवाते हुये उसके स्थान पर सही प्रविष्टि गोरधन राम दर्ज करवाने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व [illegible] खिनावड़ी, पटवार हल्का- फुलमाल, तहसील- जैतारण, जिला पाली, राजस्थान में भूमि स्थित है, जो निम्नानुसार है :- खसरा नम्बर 103 रकबा 12-05 बीघा, खसरा नम्बर 103/229 रकबा 20-16 बीघा, खसरा नम्बर 104 रकबा 16-01 बीघा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 105 रकबा 12–04 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 34–11 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 08–18 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03–14 बीघा, इसी प्रकार राजस्व मौजा– खेड़ा महाराजपुरा, पट्वार हल्का– फुलमाल, तहसील– जैतारण के खसरा नम्बर 204/20 रकबा 04–00 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"गोरधनलाल"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"गोरधन राम"*** दर्ज करते हुये वादी गोरधन राम पुत्र मांगीलाल को वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादी :-

गोरधनराम पुत्र मांगीलाल जाति- बावरी, निवासी- खिनावड़ी, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 97/2021
निर्णय व डिक्री दिनांक : 21.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र सिंह बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा- खिनावड़ी, पटवार हल्का- फुलमाल, तहसील- जैतारण, जिला पाली, राजस्थान में भूमि स्थित है, जो निम्नानुसार है :- खसरा नम्बर 103 रकबा 12-05 बीघा, खसरा नम्बर 103/229 रकबा 20-16 बीघा, खसरा नम्बर 104 रकबा 16-01 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 12-04 बीघा, खसरा नम्बर 135 रकबा 34-11 बीघा, खसरा नम्बर 137 रकबा 08-18 बीघा, खसरा नम्बर 139 रकबा 03-14 बीघा, इसी प्रकार राजस्व मौजा- खेड़ा महाराजपुरा, पटवार हल्का- फुलमाल, तहसील- जैतारण के खसरा नम्बर 204/20 रकबा 04-00 बीघा, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि *"गोरधनलाल"* को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि *"गोरधन राम"* दर्ज करते हुये वादी गोरधन राम पुत्र मांगीलाल को वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत आज तारीख 21/02/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	06	00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

([illegible])
[illegible] अधिकारी एवं [illegible]
[illegible] ([illegible])

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:49 IST
Reason: SelfAttested